

दूरभाष न 9193330950

ईमेल:- eeedd2shamli@pvvn.org

ई-मेल/डाक/वाट्सऐप

⚡ राष्‍ट्रहित में बिजली बचाये ⚡



कार्यालय

अधिश‍ासी अभियंता

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय शामली

निकट 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र खेडीकरमू शामली।

पत्रांक 6828 / वि०वि०ख०द्वि / शामली

दिनांक 9/11/2024

योजना : जमा योजना

विषय :- पी०टी०डब्लू पोर्टल पर प्राप्त आवेदन संख्या 1008364876 के सापेक्ष 10 अश्व शक्ति का नया निजी नलकूप संयोजन निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सदाकत पुत्र रफीक

निवासी-ग्राम मलकपुर

जनपद-शामली।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पी०टी०डब्लू पोर्टल पर प्राप्त आवेदन संख्या 1008364876 के सापेक्ष 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र जसाला से पोषित 11 के०वी० पोषक फतेहपुर खेत से श्री सदाकत पुत्र रफीक निवासी-ग्राम मलकपुर जनपद-शामली को 10 अश्व शक्ति का निजी नलकूप विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु निम्नलिखित धनराशि जमा कराना आवश्यक है।

क्र०स०	विवरण	धनराशि
1	जमानत राशि	3000
2	सेवा संयोजन शुल्क	2036
3	3 फेस मीटर	2921
4	धनराशि जमा योजना के अन्तर्गत	47291
	योग रू०	55248

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त धनराशि जमा कराने का कष्ट करे। धनराशि जमा होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

नियम व शर्त:-

1. आवेदक को उक्त धनराशि आवेदित पी०टी०डब्लू पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम द्वारा जमा करानी होगी।
2. उक्त कार्य नियमानुसार जमा योजना के अन्तर्गत विभागीय नियमानुसार समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कराने के पश्चात ही कराया जायेगा।
3. उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति निर्धारित शैड्यूल के अनुसार दी जायेगी।
4. संयोजन निर्गत करते समय भूमि अथवा परिसर पर लाईन निर्माण करते समय होने वाले किसी वाद विवाद के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा निगम किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
5. आर०ओ०डब्ल्यू० उपलब्ध कराने का दायित्व संबन्धित आवेदक/उपभोक्ता का होगा।

(नरेश कुमार)

अधिश‍ासी अभियन्ता

9/11/2024